

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
(राज्य रक्ताधान परिषद्)
मध्यप्रदेश

संशोधित निर्देश

दूरभाष क्र. 2527115, ई-मेल mpsbtcc@gmail.com

क्रमांक एस.बी.टी.सी./2021/3221

भोपाल, दिनांक 10/05/2021

प्रति,

1. संचालक, एम्स, भोपाल/बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल, (म.प्र.)
2. अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
चिकित्सा महाविद्यालय एण्ड चिकित्सालय,
जिला- भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा (म.प्र.)
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. अधीक्षक, सिविल हॉस्पिटल- रानी दुर्गावती, जबलपुर/इटारसी (होशंगाबाद)/
इन्दिरा गांधी गैस राहत चिकित्सालय, भोपाल, (म.प्र.)
5. समस्त सी.एम.ओ.,
कस्तूरबा हॉस्पिटल बी.एच.ई.एल., भोपाल/डब्ल्यू.सी.एल. हॉस्पिटल-बड़कुई (छिन्दवाडा) एवं
पाथाखेड़ा (बैतूल)/बुढार सेन्ट्रल हॉस्पिटल एस.ई.सी.एल. धनपुरी, शहडोल/नेहरु शताब्दी
हॉस्पिटल, सिंगरौली, (म.प्र.)
6. समस्त सचिव, इंडियन रेडक्रास सोसायटी, ब्लड सेंटर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त प्रायवेट हॉस्पिटल/चेरिटेबल ट्रस्ट/स्वयंसेवी संस्थाओं, ब्लड सेंटर, मध्यप्रदेश।

विषय:-ब्लड सेंटर (ब्लड बैंक) में कोविड-19 के टीके (वैक्सीन) के पश्चात् रक्तदान करने बाबत।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एस.बी.टी.सी./2021/3200 दिनांक 22.04.2021

2. डॉ. सुनील गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक, BTS/NBTC, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक Z-
28015/07/2021-BC दिनांक 05.05.2021

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 22.04.2021 द्वारा कोविड-19 के किसी भी टीके (वैक्सीन) की अंतिम डोज लेने के बाद 28 दिनों तक रक्तदान हेतु चयन न किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 05.05.2021 से प्राप्त निर्देशानुसार देश में अब तक कोविड-19 की कोई भी लाइव वैक्सीन उपलब्ध न होने की वर्तमान में स्थिति में विशेषज्ञों समूह द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् वैक्सीन की अंतिम डोज लेने के बाद 28 दिनों तक रक्तदान करने में संशोधन कर निर्णय लिया गया कि "कोविड-19 वैक्सीनेशन की किसी भी डोज (प्रथम/अंतिम) के 14 दिन तक" रक्तदान हेतु रक्तदाता का चयन न करें। उक्त निर्देश का पालन ब्लड बैंक अधिकारियों से कराना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न:-पत्र।

(डॉ. जे. विजय कुमार)

भा.प्र.से.

संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद्
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक एस.बी.टी.सी./2021/3222

भोपाल, दिनांक 10/05/2021

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. डॉ. सुनील गुप्ता, अतिरिक्त महानिदेशक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेस्, एवं संचालक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद (NBTC), भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली- 110 108
3. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
4. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
7. परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
8. डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन, सब जोन इंदौर, 67-72, टाइप-1, ग्रिफिन्स कॉलोनी, रोड, इंदौर।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. समस्त ब्लड बैंक अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

↓
संचालक
राज्य रक्ताधान परिषद्
मध्यप्रदेश

Dr. Sunil Gupta
MD (Microbiology)
Additional Director General



भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110 108
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Directorate General of Health Services
Nirman Bhawan, New Delhi - 110 108
Telefax : 23062290 (O), 23061924 (F)
E-mail : sunilgupta.59@gov.in
drsunilgupta.ncdc@gmail.com

दिनांक / Dated. 5th May, 2021

File No. Z-28015/07/2021-BC (e-Office- 8108350)

To,

1. All Members of Governing Body of NBTC
2. All Members of BTS TRG
3. All Directors State Blood transfusion Council
4. All member of expert group under DGHS
5. NIC - for uploading this OM of website of the Ministry

Subject: - Deferral Criteria for blood donation Post Covid-19 Vaccination -reg.

As you recall NBTC (National Blood Transfusion council) vide notification dated 5th March, 2021 has issued an advisory mentioning a deferral period of 28 days following Covid-19 vaccination for the purpose of Blood donation. In view of the fact that Govt. of India has recently made covid-19 vaccination available for all the general population above 18 years of age and the fact that so far no live attenuated vaccine has become available in the country an expert group was constituted under the chairmanship of DGHS, Dr. Sunil Kumar to review this advisory/guidelines.

After detailed deliberations among the expert group, it has been decided to reduce the deferral period for Blood donors to 14 days after receiving each/any dose of the currently available Covid 19 vaccines in the country subject to the condition that the donor conforms to the other norms for Blood donation. The said guidelines would be reviewed regularly as per the need.

The issue is with the approval of the competent authority.

(DR. SUNIL GUPTA)
ADDL. DG
BTS/NBTC

Copy to

1. PPS to DGHS
2. PPS to AS&MD
3. PPS to AS (P)
4. PPS to AS & DG, NACO
5. Blood Cell, MoHFW